

आंक-15772

गाम्भोरियल कॉलेज ऑफ साइन्स
गाम्भोरियल श्री प्रवीण माधुर पुत्र श्री मनमोहन माधुर
जोड़िये अटल श्री प्रवीण माधुर पुत्र शास्त्रीनगर, जोधपुर।
प्लॉट नं० 04, सेक्टर 5, जोधपुर।

दिनांक-22/12/2020
I.B.T.(B) 66/2020-21

:- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- संस्थागत भवन निर्माण प्रयोजनाथं स्वीकृति हेतु।
प्रस्ताव :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 09.07.2020।

उपरोक्त विधायनगत एवं प्रस्ताविक गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.08.2020 के
प्रस्ताव 07 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार संस्थागत भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान
की जाती है :-

| | |
|--------------------|---|
| स्वीकृति का प्रकार | संस्थागत निर्माण |
| अनुमत निर्माण | बी+जी+2 |
| कुल क्षेत्रफल | 33980.00 वर्ग मज |
| सैटबैक | अग्र 30' पार्श्व प. 30' पार्श्व द्वि. 30' पीछे 30' |

1. बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेंगे।
2. पट्टी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लेट में यदि चतुर्ती दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. सालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. मविथ में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियमानुसार आगि शमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
11. निर्माण स्थल पर 4'X4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्ष्यानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल मू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत रुपवाई का अवसर देने के परदात पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. नवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के गूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित याद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये संदेय बाध्य रहेंगे।
15. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय के आदेश क्रमांक एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/लाचू मेमो. कॉलेज-जोधपुर(185)/20/1342 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क व भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है एवं निदेशक व पदेन विशिष्ट सचिव महोदय के आदेश क्रमांक एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/लाचू मेमो.कॉलेज-जोधपुर(185)/20/2740 दिनांक 07.12.2020 के द्वारा विकास शुल्क रु. 27,18,364/- एवं यर्षाजल संग्रहण अमानत राशि रु. 5,00,000/- की छूट प्रदान की गयी है।
16. भवन निर्माण के दौरान भवन निर्माण के लिये बाध्य रहे हैं।

आवेदन शुल्क- 100/- जांच शुल्क- 1,00,000/- मलबा शुल्क - 10,000/- बी एस यू पी शुल्क- 1,08,391/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 1,62,586/- उपकर- 8,49,127/- कुल राशि- 12,30,204/- जरिये स्वीड संख्या 9069/5847 दिनांक 21.12.2020 सुरक्षा एवं अमानत शुल्क- 10,000/- जरिये स्वीड संख्या 9069/5848 दिनांक 21.12.2020 को निगम काब में जमा करा दिय गये है साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपको विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2008 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर धारा गण्य तो जर्मन के लिये 10,000/- (अक्षरे पर हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

Received 22/12/2020
SARVJIT MATHUR
उपायुक्त
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण